न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

(17)

प्र.क्र. / पुनर्विलोकन 14–15 / रिव्यू 460-I-15

1. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री हरिनारायण ब्राम्हण
   निवासी–मूंडरा मल्हारगण तहसील
   मुंगावली जिला अशोकनगर (म. प्र.)
2. देशराज पुत्र श्री हरिनारायण ब्राम्हण
   निवासी–मूंडरा मल्हारगण तहसील
   मुंगावली जिला अशोकनगर (म. प्र.)

.... आवेदक

श्री सुनील सिंह भदौरिया द्वारा आज दि. 3/3/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

सालकराम पुत्र श्री वालाप्रसाद ब्राम्हण
निवासी–मूंडरा मल्हारगण तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर (म. प्र.)

.... अनावेदक

3/3/15 सुनील सिंह भदौरिया

पुर्नवलोकन अधीन धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 न्यायालय श्रीमान के द्वारा प्र.क्र. नि.1146 दो 2014 में पारित आदेश दि. 10.02.15

आदरणीय महोदय,

सेवा में सादर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम मंडरा मल्हारगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 31 / 1 / 1 रकवा 0.836 एवं सर्वे क्रमांक 166 रकवा 0.157 योग रकवा 0.993 हेक्टयर भूमि संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि थी जो राजीनामा एवं वाहमी बटवारा अनुसार नामांत्रण पंजी क्रमांक 85 आदेश दिनांक 17 / 09 / 06 से आवेदक के नाम नामांत्रण आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेशसे किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम पर दर्ज हुई जो निरंतर

28

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला अशोकनगर

प्रकरण क्रमांक रिव्यु—460—एक / 2015

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—04—15	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनीलसिंह जादौन उपस्थित। उन्हें रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1146—दो / 2014 में पारित आदेश दिनांक 10—2—2015 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	